

9/1/20

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षों के पत्रों की
उपस्थिति। उभयपक्षों के आपसी राजीनामा
हो जाना लिखित रूप में पेश किया
है साथ ही वकील प्रार्थी के Not-
Precedence करते हुए इस प्रकरण में
अग्रिम कोई कार्यवाही नहीं चाहते हुए
प्रकरण की कार्यवाही को ड्रॉप करने
के लिए निवेदन किया है।

ऐसी स्थिति में अब इस -
प्रकरण में अग्रिम किसी कार्यवाही की
आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः
वकील प्रार्थी की ओर से Not Precedence
करने से रूप होने पक्षों में आपसी
राजीनामा हो जाने से इस प्रकरण की
कार्यवाही को ड्रॉप (Drop) करने के
आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली केसल
में सुमाट डेट नम्बर से काम की
जाती है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दुर्गपुर

Not P

दि

दि

